अपील सूचना अधिकार संख्या 122/2021 (GCMS 2021/201)(आईटीआई पोर्टल नं. 212895516771113) सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह जाति बैद C/o विकास छंगाणी, तेलीवाडा चौक, बीकानेर बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूगपढ, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुरेन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने एक आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के समक्ष पेश करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समयावधि में उपलब्ध नही करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

1. कार्यालय आवंटन अधिकारी (सहायक आयुक्त उपनिवेशन), सूरतगढ द्वारा कुल 25 बीधा कृषि भूमि में से ज्ञान सिंह बैंद के हक में दिनांक 10.10.2004 को 20 बीधा कृषि भूमि के संबध में जारी खातेदारी सनद की प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट पीटिशन संख्या 2672/1974 अ[illegible] सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान [illegible] 14.12.1977 की अनुपालना में शेष 05 ब[illegible] के आवंटन से [illegible] दस्तावेज उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. ज्ञान सिंह बैद के हक में दिनांक 10.10.2004 को 20 बीघा कृषि भूमि आवंटित हुई पत्रावली में अन्य दस्तावेज भी है, उक्त सभी दस्तावेज (बैयनाम, प्रार्थना पत्र, कार्यालय आदेश आदि) की प्रति उपलब्ध करावे।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/1349 दिनांक 22.11.2021 एवं **स्मरण पत्र** सीजी/वाचक/22/641 दिनांक 31.05.2022 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। **जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:**

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:35 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है इसलिए प्रार्थी की अपील लोक सूचना अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को रिमाण्ड की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं के सम्बन्ध में निर्णय की प्राप्ति के 10 दिवस में उसके प्रार्थना पत्र निर्णय पारित करें। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:35 IST
Reason: SelfAttested